"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 10, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूजा मेश्राम ध.प. श्री प्रवीण मेश्राम, उम्र 39 वर्ष, निवासी-म.नं.-347, वार्ड नं.-26, संतराबाड़ी, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मैं सिन्धु शिशु मंदिर (सिंधुडी सेवा समिति) में कार्यरत हूं. पूर्व में मेरा नाम ओंकार सुग्रता बाई यशवंत (मन्थुरा) था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 28-06-1998 को श्री प्रवीण मेश्राम के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती पूजा मेश्राम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. मेरा यह परिवर्तित नया नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में दर्ज है.

अत: अब मुझे श्रीमती पूजा मेश्राम ध.प. श्री प्रवीण मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ओंकार सुग्रता बाई यशवंत (मन्थुरा) पिता-श्री यशवंत राव निवासी-म.नं.-347, वार्ड नं.-26, संतरा बाड़ी दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती पूजा मेश्राम पति-श्री प्रवीण मेश्राम निवासी-म.नं.-347, वार्ड नं.-26, संतरा बाड़ी दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमला बाई ध.प. श्री रामेश्वर सिंह उम्र 56 वर्ष, निवासी-म.नं.-44, ग्राम-अगारखार, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री रामेश्वर सिंह, एन.टी.पी.सी. जमनीपाली कोरबा में मजदूर के पद पर कार्यरत हैं. मेरे राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र आदि शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रीमती कमला बाई दर्ज है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कोला बाई दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम श्रीमती कमला बाई रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती कमला बाई ध.प. श्री रामेश्वर सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कोला बाई पति-श्री रामेश्वर सिंह निवासी-म.नं.-44, ग्राम-अगारखार, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	श्रीमती कमला बाई पति-श्री रामेश्वर सिंह निवासी-म.नं.-44, ग्राम-अगारखार, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुशवाहा आत्मज सुभाषचंद्र कुशवाहा, उम्र 43 वर्ष, निवासी-रायपुर नाका, एफ.सी.आई. रोड, राजनांदगांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री का नाम कु. ईशिका कुशवाहा है. उसके जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में यही नाम दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. सुनिधि कुशवाहा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को कु. सुनिधि कुशवाहा आ. राकेश कुशवाहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. ईशिका कुशवाहा पिता-राकेश कुशवाहा निवासी-रायपुर नाका, एफ.सी.आई. रोड, राजनांदगांव तह. व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	कु. सुनिधि कुशवाहा पिता-राकेश कुशवाहा निवासी-रायपुर नाका, एफ.सी.आई. रोड, राजनांदगांव तह. व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय सिंह चौहान, आत्मज श्री रामकृष्ण सिंह चौहान, निवासी-वार्ड क्रमांक-3, बैरागीपारा, छुईखदान, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम संजय सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम संजय सिंह चौहान रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संजय सिंह चौहान आ. श्री रामकृष्ण सिंह चौहान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

संजय सिंह (Sanjay Singh)
पिता-श्री रामकृष्ण सिंह चौहान
निवासी-वार्ड नं.-3, बैरागीपारा, छुईखदान
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

नया नाम

संजय सिंह चौहान (Sanjay Singh Chauhan)
पिता-श्री रामकृष्ण सिंह चौहान
निवासी-वार्ड नं.-3, बैरागीपारा, छुईखदान
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरीश कुमार देवांगन आत्मज श्री नीलकंठ, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-2/डी, सड़क-30, सेक्टर-1, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे पुत्र का नाम प्रवर्त्य कुमार देवांगन है जो कि सही है यही नाम उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम प्रवर्त्य देवांगन दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम/उपनाम प्रवर्त्य कुमार देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को प्रवर्त्य कुमार देवांगन आ. हरीश कुमार देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रवर्त्य देवांगन
पिता-श्री हरीश कुमार देवांगन
निवासी-क्वा. नं.-2/डी, सड़क-30, सेक्टर-1, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

प्रवर्त्य कुमार देवांगन
पिता-श्री हरीश कुमार देवांगन
निवासी-क्वा. नं.-2/डी, सड़क-30, सेक्टर-1, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नोखेराम देशमुख आत्मज श्री डोमार सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी-498/27, व्ही.आई.पी. नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा पूर्ण नाम नोखेराम देशमुख आ. डोमार सिंह दर्ज है. किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नोखेराम आ. डोमार सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम नोखेराम देशमुख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे नोखेराम देशमुख आ. श्री डोमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
नोखेराम पिता-श्री डोमार सिंह निवासी-498/27, व्ही.आई.पी. नगर, रिसाली, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	नोखेराम देशमुख पिता-श्री डोमार सिंह निवासी-498/27, व्ही.आई.पी. नगर, रिसाली, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतीश ओस्तवाल आत्मज श्री गेंदमल ओस्तवाल उम्र 43 वर्ष, निवासी-रामाधीन मार्ग, वार्ड नं.-24, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेंस व मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम सतीश ओस्तवाल दर्ज है जो सही है किन्तु मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम सतीश जैन दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम सतीश ओस्तवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सतीश ओस्तवाल आ. श्री गेंदमल ओस्तवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सतीश जैन पिता-श्री गेंदमल ओस्तवाल निवासी-रामाधीन मार्ग, वार्ड नं.-24, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	सतीश ओस्तवाल पिता-श्री गेंदमल ओस्तवाल निवासी-रामाधीन मार्ग, वार्ड नं.-24, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

संशोधित विज्ञापन

क्रमांक 2678/आर-66/2016/13/2.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हेतु दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे. उक्त विज्ञापन में शैक्षणिक अर्हता, अनिवार्य एवं ऐच्छिक अनुभव तथा देय वेतनमान में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को 30 नवम्बर 2017 तक बढ़ाया जाता है.

आवेदन आमंत्रण की सूचना, पात्रता, आवेदन पत्र का प्रारूप आदि का संशोधित ब्यौरा छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाईट www.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है.

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्री तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कक्ष क्रमांक ए.डी. 3-सी-19, नया रायपुर 492002 के पते पर भेजा जावे जो 30 नवम्बर 2017 तक अवश्य पहुंच जाना चाहिये. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन जमा किया जा चुका है उन्हें पुन: आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है.

एम. एस. रत्नम,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला-दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

प्रारूप

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक 1920/प्र 2./अ.वि.अ./2017.—यत: कि श्रीमती बानी चक्रवर्ती जौ. श्री प्रतुल कृष्णा चक्रवर्ती मैनेजिंग सेक्रेटरी, निवासी-ए-92, स्ट्रीट-27, स्मृतिनगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग पिन कोड नं. 490020 द्वारा Clique for Applied Research in Electronic Technology Trust पता ए-92 स्ट्रीट-27 स्मृतिनगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 22-11-2017 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	Clique for Applied Research in Electronic Technology Trust पता ए-92 स्ट्रीट-27 स्मृतिनगर भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग.
(2)	चल संपत्ति	:	5000.00 (अक्षरी पांच हजार नगद)
(3)	अचल संपत्ति	:	27000.00 (अक्षरी सत्ताईस हजार रुपये मात्र), पांच कुर्सी, एक टेबल, एक कम्प्यूटर, एक कम्प्यूटर टेबल, एक सीलिंग फैन.

कैलाश वर्मा,
पंजीयक, लोक न्यास एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय लोक न्यास पंजीयक अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2017

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

क्रमांक 1483/प्रस्तु-1/2017.—चूंकि बलराम पिता अमृत सिंह एवं अन्य 11 निवासी ग्राम गुरदा तहसील खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 4-12-2017 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अत: मैं लोक न्यास पंजीयक अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) अपने न्यायालय में दिनांक 04-12-2017 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्ति: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए.

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	ग्राम गुरदा, प.ह.नं. 05, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में क्रमशः खसरा नंबर 85/1, 91/4, 498 रकबा क्रमशः 0.373, 2.258, 0.316 कुल खसरा नंबर 3 कुल रकबा 2.947 हे. प्रधान व मैनेजिंग ट्रस्टी सह अध्यक्ष-बलराम पिता अमृतसिंह राठिया, उपाध्यक्ष-हिमाचल दास आ. अमृत दास, उम्र 35 वर्ष, सचिव-चिलेश्वर आ. अमोल सिंह राठिया, उम्र 25 वर्ष, सहसचिव-राजेश कुमार आ. अमीरसिंह राठिया, उम्र 28 वर्ष, कोषाध्यक्ष-अश्वनी-कुमार आ. ईश्वरसिंह राठिया, उम्र 35 वर्ष, सदस्य-अशोक कुमार आ. ईश्वर सिंह राठिया, उम्र 35 वर्ष, सदस्य-नीरजमणी आ. विसम्भर सिंह उम्र 30 वर्ष, सदस्य-लीलाधर आ. हरीसिंह राठिया, उम्र 43 वर्ष, सदस्य कांतिलाल आ. करमसिंह, उम्र 40 वर्ष, सदस्य-संतोष कुमार आ. भोगसिंह उम्र 30 वर्ष, सदस्य-आसन सिंह,आ. टीकाराम उम्र 28 वर्ष, सदस्य-किशोर कुमार आ. रूपसिंह उम्र 25 वर्ष, ट्रस्ट का उद्देश्य-जगन्नाथ मंदिर का संचालन, जीर्णोद्धार, पूजा अर्चना करना, मंदिर का विकास तथा ग्राम विकास में सहयोग व अन्य पूण्यार्थ कार्य करना.
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक.

हरीश एस.
लोक न्यास पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक/परि./2017/2545.—वस्तुतः अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं.क्र. 243 दिनांक 19-04-2007 का राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. रायपुर के परिपत्र क्रमांक/विधि/2015/5195 दिनांक 04-11-2015 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों की पात्रता की जानकारी चाही गई थी. अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति बिलासपुर को पंजीयन दिनांक से किसी भी प्रकार की भूमि प्राप्त नहीं होने एवं संस्था के किसी सदस्य द्वारा भूमि हेतु राशि जमा नहीं करने से पंजीयक के परिपत्र के तहत निर्वाचन हेतु पात्रता नहीं रखने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिसमापन में लाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन के सहमत होते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी

छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं.क्र. 243 दिनांक 19-04-2007 विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सी.पी. बाजपेयी व.सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक/परि./2017/2546.—वस्तुत: जय बूढ़ादेव पशुपालन सहकारी समिति मर्या. बिजराकापा विकासखंड तखतपुर जिला बिलासपुर पं.क्र. 297 दिनांक 24-02-2011 को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था बोर्ड द्वारा निर्वाचन हेतु किसी प्रकार का रूचि नहीं लिये जाने का लेख करते हुए श्री संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा परिसमापन में लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये जय बूढ़ादेव पशुपालन सहकारी समिति मर्या. बिजराकापा पं. क्र. 297 दिनांक 24-02-2011 विकासखंड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2017

क्रमांक/परि./2017/2547.—वस्तुत: जय अंबे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिरगिट्टी पं.क्र. 245 दिनांक 12-06-2007 के राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा समिति के निर्वाचन हेतु रजिस्ट्रीकरण व निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात् समिति के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचन कराने में अक्षम होने बाबत् लिखित में आवेदन पत्र संस्था सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने से समिति का निर्वाचन नहीं होना एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से जय अंबे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिरगिट्टी पं.क्र. 245 दिनांक 12-06-2007 को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये जय अंबे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिरगिट्टी, पं. क्र. 245 दिनांक 06-12-2017 जिला बिलासपुर (छ.ग.) को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सी.पी. बाजपेयी व.सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.